

पुत्र 06/2015 सुरेश/मदनलाल

हुम या कारवाही मय इनिशियलस मय

सम्बर व कारीय
सम्बरान जो हुम
हुम को कारीय
में जारी हुम

पत्रावली पैरा हुमी। पत्रावली का
अवलीकन किया गया है। बाद कैम्बन
में मा. भू. पुन्यका अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी श्रीकर ने
अपील सं. 125/2012 उनवान मदनलाल
बनाम सुरेश में निर्णय दिनांक 2-1-15
की द्वारा इस न्यायालय का निर्णय एवं
डिक्री दिनांक 18-5-12 रजिस्ट्र किया गया
है। तथा निर्देशानुसार जारी है। मा. भू. पुन्यका
अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
श्रीकर ने अपील सं. 240/2011 मदनलाल
V/ सुरेश निर्णय दिनांक 15-3-12 की
पालना में पुनः प्रारम्भिक डिक्री करीत करते
हुये निर्णय किया जावे।

पत्रावली में दिनांक 2/3/16 की तारीख प्रतियादी
सं. 2, 1/8, 9, 10 ने शसिनामा पैरा निवेदन किया
है। तस्वीलवार द्वारा तैयार लंटावा पुस्ताव
दिनांक 26-9-11 की कगुसाट अन्तीम निर्णय
किया जावे। सूकी दिनांक 18-5-12 की इस
न्यायालय द्वारा तस्वीलवार की पुस्ताव दिनांक
26-9-11 की कगुसाट ही किया जाकर राजस्व
रिकॉर्ड में जमल ही हुआ है। तथा मा. राजस्व
अपील प्राधिकारी श्रीकर ने अपील करने वाले
पक्षकार मदन लाल पुत्र विजन जाति बुनाव निवासी
साहपुरा में शसिनामा में शसनील है। अतः पत्रावली
आगे चलाने का कोई औचित्य नहीं है।

अतः पुत्र जारी निर्णय 18-5-12 शसिनामा दिनांक
2/3/16 की कगुसाट द्वारा तैयार लंटावा पुस्ताव दिनांक
26-9-11 की आधार पर ही किया गया है। अतः पुत्र में
अपील निर्णय दिनांक 18-5-12 की प्रभाव करके हुये
पत्रावली केबल कगुसाट होकर भुक्त हो

पुत्र 06/2015